फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

तुलसीराम ....बनाम.......... सरकार

किस्म मुकदमा.......... 136 ....मु0नं0.......... 01/2023

तारीख हुक्म (3.1.23)	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.01.23	पत्रावली प्रार्थी स्वंय तुलसीराम द्वारा पेश की गई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पेश कर निवेदन किया गया कि उसके द्वारा ग्राम गिरधरपुरा में खाता संख्या 115 में ख0न0 279 में से बेचान किया गया था लेकिन अब खाते में ही नाम नहीं आ रहा है जिसे शुद्ध किया जावे। पत्रावली में तहसीलदार सिकराय, उप तहसीलदार सिकन्दरा भू–अभिलेख निरीक्षक सिकन्दरा एव पटवारी हल्का कैलाई की रिपोर्ट संलग्न है। मुताबिक ग्राम गिरधरपुरा के खाता संख्या 115 में से खसरा नम्बर 279 में से तुलसीराम पुत्र श्योदान हि0 1/12 हजारी पुत्र भौरया हि0 1/6 का बेचान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा बनवारी पुत्र रामधन जाति कोली नि0 गिरधरपुरा को किया गया था उक्त बेचान खसरा नम्बर 279 में से ही हुआ था लेकिन नामान्तकरण दर्ज करते समय सहवन से विक्रय पत्र का अमल संपूर्ण खाते में हो गया। मुताबिक रिपोर्ट वर्तमान में खसरा नम्बर 279 नए खाता संख्या 151 में दर्ज हो गया है। अतः पटवारी हल्का कैलाई एवं तहसीलदार सिकन्दरा की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम गिरधरपुरा के खाता संख्या 115 में बनवारी पुत्र रामधन जाति कोली हि0 1/4 को हजफ करते हुए इसके स्थान पर हजारी पुत्र भौरया हि0 1/6 जाति बैरवि तथा तुलसीराम पुत्र श्योदान हि0 1/12 जाति बैरवा नि0 गिरधरपुरा का नाम दर्ज करने के आदेश उपतहसीलदार सिकन्दरा को दिए जाते है। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	